



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 04.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



यातायात नियमों के उल्लंघन पर 17 वाहनो का किया गया चालान, 01 क्लूजर गाड़ी सीज
यातायात पुलिस द्वारा अभियान चलाकर की गई कार्यवाही



आज दिनांक 04.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल निर्देशन में जनपद की यातायात व्यवस्था को चुरस्त-दुरुस्त रखने के क्रम में प्रभारी यातायात उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मिश्रा मय टीम द्वारा शहर में अभियान चलाकर यातायात व्यवस्था से खिलवाड करने वाले 17 वाहनो का चालान किया गया एवं 01 क्लूजर गाड़ी के कागजात न होने सीज किया गया ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 04.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



खरेला पुलिस ने गिरफ्तार किया वाँछित अभियुक्त



आज दिनांक 04.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल नेतृत्व में चलाये जा रहे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र०नि० खरेला अनूप कुमार दुबे द्वारा गठित टीम ने थाना हाजा पर पंजीकृत **मु०अ०सं० 156/20 धारा 342/506/376 भा.द.वि. व 66 E आईटी एक्ट** से सम्बंधित वाँछित अभियुक्त सन्तोष कुमार बेड़िया पुत्र स्व० रामपाल उम्र 35 वर्ष, नि० ग्राम बरायँ थाना खरेला जनपद महोबा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सन्तोष कुमार बेड़िया पुत्र स्व० रामपाल उम्र 35 वर्ष, नि० ग्राम बरायँ थाना खरेला जनपद महोबा।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री अनूप कुमार दुबे (प्र०नि० खरेला)
2. का० अजय
3. का० मो० कामिल
4. महिला का० सीता
5. महिला का० आकांक्षा



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 04.06.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



जनपदीय पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके क्षेत्रवासियों को **कोविड-19** संक्रमण से बचाव के तरीके बताये गये



04.06.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा थाना प्रभारी कबरई के साथ मय पुलिस बल कस्बा भ्रमण किया तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश सिंह ने थाना प्रभारी खरेला के साथ मय पुलिस कस्बा भ्रमण किया गया तथा जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके वैश्विक महामारी **कोविड-19** संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं क्षेत्रवासियों को संक्रमण से बचाव हेतु तरीके बताये गये, जिसमें लोगो को सदैव मास्क का प्रयोग करने व 02 गज की दूरी बनाये रखने एवं बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने

को कहा गया साथ ही अपने हाथों को समय-समय पर पानी/साबुन से धोते रहने एवं सफाई पर विशेष ध्यान देने हेतु लोगो को प्रेरित किया गया।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **26 ई-चालान व** कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर **48 व्यक्तियों से 7500/-रु0 शुल्क वसूला गया।**

